



दूरभाष/Tel: 01812750732 फ़ैक्स/Fax 01812750732

केन्द्रीयविद्यालयन02/ KendriyaVidyalaya No2

वायुसेनास्थलआदमपुर/Air Force Station Adampur 144103

Web Site: [www.kv2adampur.org](http://www.kv2adampur.org)

E. Mail: [kvno2adampur@yahoo.co.in](mailto:kvno2adampur@yahoo.co.in), [kv2adampur@kvsedu.org](mailto:kv2adampur@kvsedu.org)

Exams: [kvno2exams@gmail.com](mailto:kvno2exams@gmail.com)

CBSE Affiliation No: 1600016 School Code :04531

Ref. No. KVA-2/2019-20/Acad-01/

Date: 18.04.2019


### आदेश

के.वि.एस (मुख्यालय), नई दिल्ली आदेश सं. F.11-55 2000-KVS (Vid.) Pt 11122-25 दिनांक 05.03.2019 के संदर्भ में और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय में महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर किसी भी शिकायत के निवारण के लिए निम्नलिखित आंतरिक शिकायत समिति का गठन तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

S.NO.	NOMENCLATURE	MEMBER NAME
1	PRESIDING OFFICER	1. Ms. T. Rukmani Assistant Commissioner KVS RO Chandigarh
2	NGO MEMBER	1. Ms.SarojKapur NGO Member NGO Jagdambe Handicraft women welfare society
3	MEMBER	MS PriyaPRT KV 2 ADAMPUR
4	MEMBER	Mr Rakesh Kumar PGT History KV 2 ADAMPUR
5	MEMBER (VMC MEMBER)	MS KUMARI GULSHAN TGT ENGLISH KV 2 ADAMPUR

पीठासीन अधिकारी और उपरोक्त समिति के सदस्य इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन वर्षों से अधिक कार्य नहीं करेंगे। समिति के पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगे:-

- जांच के संचालन के लिए तारीख और समय तय करने के लिए और सरकारी संगठन के सदस्य, अन्य सदस्यों और संबंधित उपायुक्त / विद्यालय के साथ समन्वय करें।
- एनजीओ के सदस्य के साथ समन्वय करें और यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाएं और सुविधा प्रदान करें।
- जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट के विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य मामले के निर्णय दिनांक 13.08.1997 में निहित दिशा-निर्देशों और मेधा कोतवाल लेले और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2004 के आदेश के अनुसार की जाएगी।
- महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के मामले की जांच करते समय एक एनजीओ सदस्य होना अनिवार्य है।
- शिकायत प्राप्त होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर उसकी टिप्पणियों / सिफारिश तथा विशिष्ट निष्कर्षों और सहायक दस्तावेजों के साथ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

  
18/4/19  
प्राचार्य  
ANIL KUMAR Dhillon  
के.वि.सं.-2, क.स. आदमपुर  
KVNO2/AFS, Adampur!